[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 71/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 सितंबर, 2020

सा.का.नि.....(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 197(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पहले अनुच्छेद में, "एक वित्तीय वर्ष" शब्दों के स्थान पर "2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ii) दूसरे अनुच्छेद में, "1 अक्टूबर, 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 दिसम्बर, 2020" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा.सं. सीबीईसी-20/06/07/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 14/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 197(अ) तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।